

मान्यता नवीनीकरण
कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़

email:- bsp.jd18@gmail.com फोन नं. -07752-493695

क/अशास./मान्य.नवीनी./JNJ-E /2021-22/20-173
प्रति,

बिलासपुर,दि. 09/02/2022

प्रबंधक/प्राचार्य
जी.एल.डी.पब्लिक स्कूल खैरताल,
वि.खं.-नवागढ़
जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 190, के प्रयोजन के लिये नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र।


संदर्भ:- आपका आवेदन पत्र,दि. 23.12.2021।

संदर्भित आवेदन के अनुसार आपकी संस्था को कार्यालयीन आदेश/अशास/नवीन मान्यता/JNJ-E/2020-21/20-173, बिलासपुर, दिनांक 08.03.2021 में उल्लेखित शर्तों के अधीन एवं नोडल प्राचार्य (आर.टी.ई.) द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जी.एल.डी.पब्लिक स्कूल खैरताल, वि.खं.-नवागढ़, जिला-जांजगीर-चांपा (यू डार्डिस-22061708109) को नर्सरी से 12वीं एवं सत्र 2022-23 से 2024-25 (अंग्रेजी माध्यम/छ.ग. बोर्ड) के लिये अनंतिम मान्यता (नवीनीकरण) प्रदान करने की संसूचना छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासकीय आदेश क्रमांक एफ. -02-39/2019/20 -दो अटल नगर दिनांक 13.11.2019 के परिपालन में निम्नलिखित नियम एवं शर्त के अधीन दिया जाता है :-

नवीन मान्यता/नवीनीकरण के नियम एवं शर्तें

1. प्रवेशित कक्षा से कक्षा 8 वीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 15 के उप नियम (1) के तहत उल्लेखित मानकों के सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. विद्यालय का संचालन लाभ नहीं हानि नहीं (No loss No Profit) के आधार पर संचालन किया जायेगा।
3. सोसायटी/विद्यालय, किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधधीन नहीं करेगा।
4. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के अधधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
5. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों के अनुसार विद्यालय के लिये निम्नलिखित अधोसंरचना होना अनिवार्य है :-
 - विद्यालय का भवन-प्रत्येक कक्षा के लिये पृथक-पृथक कक्षा अध्यापन कक्षा एवं आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला कक्षा एवं उपकरण आदि।
 - खेल का मैदान।

- प्राचार्य/ प्रधान पाठक एवं स्टाफ के लिये पृथक - पृथक कक्ष।
- स्टाफ, छात्र, छात्राओं के लिये पृथक - पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- द्विव्यांग विद्यार्थियों के लिये पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- प्रत्येक विद्यार्थी को बैठने के लिये फर्नीचर की व्यवस्था।
- कक्षा स्तर अनुसार योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था।
- शुद्ध पेयजल सुविधा, अग्नि शमन यंत्र,
- बाधारहित पहुँच मार्ग, आदि
- क्रीड़ा खेलकूद के उपकरणों/पुस्तकालय/प्रयोग शाला की पृथक - पृथक उपलब्धता।
- 6. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा संचालित होगा।
- 7. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष तैयार किया आवश्यक होगा। प्रत्येक लेखा विवरण/आडिट की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी होगी।
- 8. आपके विद्यालय को यू डार्डस - 22061708109 को पत्राचार के लिए उल्लेख करें।
- 9. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो छ.ग.शासन एवं संचालन लोक शिक्षण संचालनालय /संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए गये हो।
- 10. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण जीवित पंजीयन/नवीनीकरण होना आवश्यक है।
- 11. विद्यालय बंद करने या आगे संचालन नही करने की स्थिति में संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी/वि.खं. शिक्षा अधिकारी को तीन मास पूर्व लिखित में कारण सहित संसूचित करने होंगे।
- 12. छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 13. कोविड 19 के संबंध में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश का पालन करते हुये शाला का संचालन करना होगा।



 संयुक्त संचालक
 शिक्षा संभाग बिलासपुर
 छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दि. 09/02/2022

पृ. क/अशास./मान्य.नवीनी./ JNJ -E /2021-22/20-173 A

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ।


 संयुक्त संचालक
 शिक्षा संभाग बिलासपुर
 छत्तीसगढ़